भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1724

10.03.2025 को उत्तर के लिए

जंगल में बार-बार आग लगने की घटनाएं

1724. प्रो. सौगत राय :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वर्ष 2001 से 2023 के बीच जंगल में लगी आग के कारण लगभग 38100 हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान आग के कारण नष्ट हुए वन क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में जंगल में आग लगने से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बार-बार जंगल में आग लगने में अतिक्रमण की कोई भूमिका है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2001 और 2023 के बीच वनाग्नि के कारण वृक्ष आवरण की हानि का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना-2018 लागू की है, जिसके तहत वनाग्नि को रोकने और आग के खतरों के विरूद्ध वनों की अनुकूलता में सुधार करने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट उपाय करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप राज्य कार्य योजनाएं भी तैयार करते हैं।

यह मंत्रालय, वनाग्नि की रोकथाम के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से पंजीकृत उपभोक्ताओं और राज्य वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि से निपटने के लिए अग्रिम वनाग्नि चेतावनी संदेश (एक सप्ताह पहले ही), व्यापक वनाग्नि चेतावनी संदेश और निकटतम वास्तविक समय के वनाग्नि चेतावनी संदेश पहुंचाता है।

इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) के समन्वय से व्यापक वनाग्नियों से निपटने के लिए 150 कार्मिकों को शामिल करते हुए एनडीआरएफ की तीन बटालियनों को प्रशिक्षित किया है। इन बटालियनों को वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है।

यह मंत्रालय, केंद्रीय प्रायोजित वनाग्नि की रोकथाम और निवारण स्कीम के साथ-साथ काम्पा निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में भी सहायता प्रदान करता है।

देश में अधिकांश वनाग्नियां, अन्य प्राकृतिक आकस्मिक कारकों के अलावा मानवजनित कारणों से लगती हैं। तथापि, निरंतर गर्म और शुष्क मौसम रहने तथा गर्म हवाओं के चलने की स्थितियों में वनाग्नि का जोखिम अधिक बढ़ जाता है।

वनाग्नि और अतिक्रमण की रोकथाम करना प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। अतिक्रमण के निवारण हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों में उपयुक्त विधिक उपबंध किए गए हैं।

यह मंत्रालय, कानून के उपबंधों के अनुसार वन भूमियों से अतिक्रमणों को हटाने और भविष्य में अतिक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शिकाएं जारी करता है। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमणों को रोकने के लिए राज्य वन विभागों द्वारा वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाने और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त लगाने जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। राज्य वन विभाग, वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों को रोकने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन और भू-मंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली जैसी विभिन्न प्रकार की आधुनिक प्रौद्योगिकियों की भी उपयोग करते हैं। वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भी स्थापना की गई है।

*****